आवंटन (6)
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890500–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद–मथुरा।

संख्याः 1/शा0/100/2016–1/75/2016 लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि रू0–59.889 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–78/2016/2649/33–3–2016–100(11)/2014 टीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु जनपद गाजीपुर में रू0– 59.889.00 लाख (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद मथुरा के लिए रू0 59.889 लाख (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) को पुर्नआवंटित किये जाने की अनुमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी को आवंटित की जाएगी जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी. एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक

निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में फॉट के कॉलम संख्या–10 में अंकित धनराशि को छोड़ते हुए अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

5–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॅाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7–आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8–सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008– मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02–02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

12–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13–जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

14–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10–03–2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–146 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/100/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
4. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी, मथुरा।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद मथुरा।
8. उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), आगरा मण्डल आगरा।
9. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं
लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

cc road 83 allotment 2016-17

781/2016
संख्या– 2019/33–3–2016–100(11)/2014 टी.सी.

प्रेषक,

एस०पी०सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2016

विषयः– डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत जनपद–गाजीपुर के चयनित ग्रामों हेतु दी गयी धनराशि में से प्राप्त बचत की धनराशि का जनपद–मथुरा की मांग के सापेक्ष पुर्नआवंटन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/3946/2016–5/129/2016, दिनांक 14.10.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत जनपद–गाजीपुर में रू.59.889 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है तथा जनपद– मथुरा द्वारा रू. 59.889 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की मांग की गयी है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत जनपद– गाजीपुर में रू.59.889 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद– मथुरा के लिए रू. 59.889 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) को पुर्नआवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– उक्त पुर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015–16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(एस०पी०सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर एवं मथुरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, गाजीपुर एवं मथुरा।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
8. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग-1/2
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी०सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0) (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या.83 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फोंट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यांश) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मथुरा	7	60.000	0.000	60.000	55.875	4.125	60.000	0.112	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	1.118	54.758
कुल		**7**	**60.000**	**0.000**	**60.000**	**55.875**	**4.125**	**60.000**	**0.112**	**0.838**	**0.056**	**0.056**	**0.056**	**1.006**	**1.118**	**54.758**

(रुपया साठ लाख रुपये मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-100-2016-1-75-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 011-75-2016

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5988900 17966500	5988900 17966500
	योग	वर्तमान प्रगामी	5988900 17966500	5988900 17966500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनसठ लाख अठासी हजार नौ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उन्नासी लाख छियासठ हजार पाँच सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी